बिहार सरकार
बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना।

पत्रांकः 1242 दिनांक– 24-11-2020

विज्ञापन सं०–01/2019 अन्तर्गत कनीय अभियंता (असैनिक) हेतु काउंसलिंग में आने वाले अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देशः–

1. सभी प्रमाण–पत्र, अंक पत्र मूल में काउंसलिंग के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
2. ऑन–लाईन आवेदन (अन्तिम रूप से भरे गए) तथा वर्णित सभी प्रमाण–पत्र/अंक पत्र की Downloaded Hard Copy तिथि सहित स्व–अभिप्रमाणित काउंसलिंग के समय आयोग कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।
3. Online आवेदन में upload किये गए Photograph की 5 (पॉच) प्रति।
4. सभी प्रमाण–पत्र आवेदन करने की अन्तिम तिथि के पूर्व का निर्गत होना आवश्यक है।
5. अभ्यर्थी दिनांक–**28.02.2019** तक संविदा के आधार पर कार्यरत अवधि का अपने नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत कार्यानुभव प्रमण–पत्र के रूप में वेतन भुगतान प्रमाण–पत्र की मूल प्रति सत्यापन हेतु प्रस्तुत करेंगे एवं स्वअभिप्रमाणित–प्रति जमा करेंगें।
6. निर्देश का अनुपालन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता के सम्बन्ध में निर्णय लेने हेतु आयोग स्वतंत्र होगा।
7. किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर संबंधित आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द की जा सकती है।
8. संलग्न चेकस्लीप के अनुरूप सभी तैयारी कर काउंसलिंग में भाग लेंगे।
9. अंक सत्यापन प्रमाण–पत्र के निर्धारित कॉलम में अभ्यर्थी द्वारा उनके अनुसार प्राप्त होने वाले अंकों को जोड़ कर लिखना होगा तथा सभी कॉलम भरकर हस्ताक्षर करना होगा।
10. अभ्यर्थियों द्वारा चेक लिस्ट में अंकित किये गये प्रमाण पत्रों के आधार पर काउंसलिंग हेतु प्राप्ति रसीद भी मिलान कर हस्ताक्षर के साथ भर लेंगे।
11. कॉसिलिंग के पश्चात् किसी प्रकार का प्रमाण–पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।
12. आवेदन में उल्लेखित कोटि में किसी प्रकार का संशोधन मान्य नहीं होगा।
13. दिनांक–17.02.2020 तक ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किया गया है इसलिए इस तिथि के अन्दर सभी शैक्षणिक प्रमाण–पत्र, अंक प्रमाण–पत्र मान्य होगा।
14. B.Tech/B.E. योग्यताधारी अभ्यर्थी यदि पाये जाते है, तो उनका काउसिलिंग रद्द कर दिया जायेगा। यह काउसिलिंग मात्र डिप्लोमाधारी(कनीय अभियंता) अभ्यर्थी के लिए है।

24/11/20

सचिव

बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।

बिहार सरकार

बिहार तकनीकी सेवा आयोग,

19, हार्डिंग रोड, पटना।

सूचना।

पत्रांकः–...1243...... दिनांकः–...24-11-2020

विज्ञापन सं०–**01/2019** अन्तर्गत कनीय अभियंता(असैनिक) के पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त ऑन–लाईन आवेदन के आधार पर दिनांक– 02.12.2020 से दो पालियों में (प्रथम पाली 10:30 से 1:30 बजे तक) तथा (द्वितीय पाली 2:30 से 5:30 बजे तक) Counselling का कार्य आयोग कैम्पस स्थित प्री–फेबरिकेटेड भवन सं०–02 में आयोजित किया जायेगा। अभ्यर्थियों को रजि०नं० के अनुसार तिथिवार एवं टेबुलवार विवरणी सूचना के साथ संलग्न है।

अतः अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने रजिस्ट्रेशन नम्बर के अनुसार निर्धारित तिथि एवं समय पर विज्ञापन में वर्णित एवं आवेदन के साथ संलग्न सभी प्रमाण–पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित छाया प्रति, डिप्लोमा के सभी वर्षो के अंक प्रमाण–पत्रों की स्व–अभिप्रमाणित प्रति, आवेदन की डाउनलोडेड प्रति तथा सत्यापन हेतु इन सभी प्रमाण–पत्रों की मूल प्रति के साथ उपस्थित रहे।

(1) पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र) लाना अनिवार्य है। क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र Counselling के समक्ष नहीं जमा करने पर अभ्यर्थी का आरक्षण का दावा नहीं माना जाएगा।

(2) पिछड़ा/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए क्रीमीलेयर से संबंधित घोषणा–पत्र (विगत एक वर्ष से पूर्व का क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र(**बिहार सरकार के प्रयोजनार्थ**) होने पर)।

(3) अनुसूचित जाति/अुनसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण–पत्र एवं स्थाई निवास प्रमाण–पत्र (महिला उम्मीदवारों के लिए पिता के नाम एवं पता से निर्गत जाति प्रमाण–पत्र एवं निवास प्रमाण–पत्र) लाना अनिवार्य है।

(4) EWS के अभ्यर्थी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्गत प्रमाण–पत्र अनिवार्य है, अन्यथा आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

(5) सक्षम प्राधिकार के द्वारा निर्गत दिव्यांग प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर दिव्यांग श्रेणी में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(6) स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती/नाती/नतिनी के द्वारा जिला पदाधिकारी के स्तर से निर्गत प्रमाण–पत्र/पहचान–परिचय पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(7) पहचान–पत्र (फोटो युक्त)।

(8) 5 पासपोर्ट साइज के अद्यतन फोटोग्राफ।

(9) यदि आपने आरक्षित पद के लिए दावा किया है, तब काउंसलिंग के समय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के मामले में अपने स्थाई अधिवास अंचल के अचंल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित जाति प्रामण–पत्र एवं स्थाई निवास प्रमाण–पत्र जमा कर सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

(10) पिछड़ा वर्ग/अत्यंत पिछड़ा वर्ग के स्थिति में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक–673, दिनांक–08.03.2011 एवं पत्रांक–704, दिनांक–10.03.2011 के आलोक में बिहार सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में अपने स्थाई अधिवास अचंल के अंचल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित, क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र की मूल प्रति से सत्यापन कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा आपको आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।

काउंसलिंग के लिए बुलाए जा रहे आवेदकों की अभ्यर्थिता पूर्णतः औपबंधिक है। काउंसलिंग में शामिल होने मात्र से उनकी अर्हता सम्पुष्ट नहीं होती है। काउंसलिंग के समय या उसके बाद उनकी अर्हता पर यथासम्भव आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा। काउंसलिंग के लिए संलग्न रजिस्ट्रेशन नम्बर वाले अभ्यर्थी को छोड़कर शेष किसी का भी आयोग कार्यालय में प्रवेश वर्जित होगा।

आवश्यक निदेश

(1) सभी अभ्यर्थी निर्धारित तिथि एवं समय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे। द्वितीय पाली के अभ्यर्थी कोरोना महामारी के आलोक में 2.00 बजे अप० के पहले आयोग कार्यालय के अन्दर एवं उसके बाहरी चारदिवारी के किसी भी तरफ इक्कठ्ा नहीं होगें। द्वितीय पाली के अभ्यर्थी को आयोग कार्यालय के परिसर में 2.00 बजे अप० से ही अन्दर आने की अनुमति होगी। ई०मेल० एवं **S.M.S** के माध्यम से अभ्यर्थियों को सूचित किया गया है। जिन्हें ई०मेल० एवं **S.M.S** प्राप्त नहीं हुआ हो एवं जिनका संलग्न रजि०नं० विवरणी में भी नाम नहीं है वे कृपया आयोग कार्यालय आकर अनावश्यक भीड़ नहीं लगायेगे। किसी प्रकार की जानकारी हेतु आयोग के ई०मेल० पर मेल भेज सकते है।

(2) सभी अभ्यर्थी फेस मास्क निश्चित रूप से लगाकर ही काउंसलिंग में भाग लेंगें एवं आपस में 6 फीट की दूरी बनाए रखेगें।

(3) काउंसलिंग टेबूल पर जाने के पूर्व सभी अभ्यर्थी स्वयं को पूर्ण रूप से सेनिटाइज्ड कर लेंगें। सभी अभ्यर्थी सेनेटाइजर की व्यवस्था स्वय करें।

(4) काउंसलिंग के पश्चात् बगैर कहीं रूके हुए आयोग कार्यालय परिसर से बाहर चले जायेंगें।

(5) आयोग के द्वार पर कोरोना से संबंधित स्क्रिनिंग करने के पश्चात् ही आयोग कार्यालय परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी जायेगी। स्क्रिनिंग में असफल अभ्यर्थियों को आयोग परिसर में आने की अनुमति नहीं दी जायेगी। सभी अभ्यर्थी कोरोना टेस्ट का यथा संभव रिपोर्ट लेकर आयोग कार्यालय आयेगे। पोजिटीव वाले अभ्यर्थी का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर दूसरी तिथि को बुलाया जा सकता है

(6) कोरोना से संक्रमित अथवा संदेहास्पद किसी भी अभ्यर्थी को आयोग परिसर में आने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(7) काउंसलिंग टेबल पर 6 फीट की दूरी से ही काउंसलिंग टीम मे सम्मलित पदाधिकारी/कर्मी से वार्ता करेगें एवं अपना कागजात का सत्यापन करायेगें।

(8) कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु दिए गए सुराक्षात्मक सुझावों का उल्लंधन किये जाने पर नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी किया जा सकता है।

सचिव

बिहार तकनीकी सेवा आयोग, पटना।

बिहार सरकार
बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना।

कॉन्सलिंग के लिए चेक लिस्ट

विज्ञापन सं० **01/2019** दिनांक -----------------

कनीय अभियंता (.................................)

1	नाम :-	
2	पिता / पति का नाम:-	
3	पता :-	
4	ऑन–लाईन आवेदन का पंजीकरण संख्या:–	B R 0 0 1 5 0 0 1 0
5	जन्म तिथि:-	1 9
6	श्रेणी :-	(क)सामान्य / इ०डब्लू०एस० / बी०सी० / ई०बी०सी० / एस०सी० / एस०टी० / डब्लू०बी०सी० (ख)दिव्यांग / स्वतंत्रता सेनानी के पोता / पोती / नाती / नतीनी

7 **समर्पित किये गये प्रमाण–पत्रों की छायाप्रति:-**

(i)	जन्म तिथि हेतु मैट्रिकुलेशन का मूल प्रमाण–पत्र।	1
(ii)	डिप्लोमा उत्तीर्ण प्रमाण–पत्र अथवा प्रोविजन प्रमाण–पत्र।	2
(iii)	डिप्लोमा का अंक प्रमाण–पत्र। (सभी परीक्षाओं का)	3
(iv)	कार्य अनुभव हेतु नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत वेतन भुगतान प्रमाण–पत्र	4
(v)	गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वतंत्रता सेनानी के पोता / पोती / नाती / नतीनी संबंधी प्रमाण–पत्र / परिचय–पत्र।	5
(vi)	सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत दिव्यांगता प्रमाण–पत्र।	6
(vii)	निवास प्रमाण–पत्र।	7
*(viii)	जाति प्रमाण–पत्र।	8
*(ix)	क्रीमीलेयर रहित प्रमाण–पत्र।	9

*(x) आय एवं परिसम्पति प्रमाण–पत्र। (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का सदस्यों के लिए) 10

(xi) ID Proof (Aadhaar Card/Pan Card/ Driving Licence/ Passport/Votor ID). 11

*(xii) ऑन–लाईन आवेदन में अपलोड किये गए फोटोग्राफ की 5 प्रति। 12

*** आवेदक द्वारा दावा करने की स्थिति में सत्यापन किया जाना है।**

मेरे द्वारा उपरोक्त कंडिका 7 के उप कंडिका ....

.... को छोड़कर शेष उप कंडिकाओं में अंकित दस्तावेजों की स्व–अभिप्रमाणित फोटो प्रतियाँ समर्पित की गयी। प्रमाणित किया जाता है कि मेरे द्वारा समर्पित सभी दस्तावेज सही है।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर (तिथि सहित)

अभ्यर्थी के द्वारा समर्पित दस्तावेजों की स्व–अभिप्रमाणित फोटो प्रतियों का मिलान मूल दस्तावेज से किया गया एवं इसे मूल दस्तावेजों के अनुरूप पाया गया। प्राप्त किए गए दस्तावेजों की फोटो प्रतियों को फोल्डर में पृष्ठ .... से .... पर संलग्न किया गया।

कोई विशेष टिप्पणी यदि हो, तो अंकित करें।

सहायक का हस्ताक्षर (तिथि सहित)	प्रशाखा पदा० का हस्ताक्षर (तिथि सहित)	प्रभारी पदा० का हस्ताक्षर (तिथि सहित)

बिहार सरकार
बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
19, हार्डिंग रोड, पटना।
कनीय अभियंता का अंक सत्यापन प्रपत्र

1	विज्ञापन संख्या :– 01/2019				
2	पद का नामः– कनीय अभियंता (..........................)				
3	पंजीकरण संख्या (Registration No.) :– BR00150010..........				
4	अभ्यर्थी का नामः–				
5	शैक्षिणिक योग्यताः–	आवेदन के अनुसार		सत्यापन के अनुसार	
a	डिप्लोमा का अंकः–	प्राप्तांक प्रतिशत	प्राप्तांक % X 0.75	प्राप्तांक प्रतिशत	प्राप्तांक % X 0.75
	(क) कुल प्राप्तांक				
	(ख) पूर्णांक				
b	कार्य अनुभव का अंकः–	N/A		N/A	
c	कुल अंकः–	N/A		N/A	

दिनांकः– ....

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

प्रमाणित किया जाता है कि कंडिका–5 (a), (b) एवं (c) में अंकित प्राप्तांक/अंक का सत्यापन मूल प्रामण–पत्र अथवा सक्षम पदाधिकारी के द्वारा अभिप्रमाणित प्रमाण–पत्र से कर लिया गया है एवं की गई गणना सही है।

डाटा इण्ट्री ऑपरेटर   सहायक   प्रशाखा पदाधिकारी   प्रभारी पदाधिकारी

बिहार तकनीकी सेवा आयोग, 19, हार्डिंग रोड, पटना।

काउंसलिंग हेतु प्राप्ति रसीद।

1	विज्ञापन संख्या :– 01 / 2019	
2	पद का नामः– कनीय अभियंता (................................)	
3	पंजीकरण संख्या (Registration No.) :– BR00150010..........	
4	अभ्यर्थी का नामः–	
5	दिनांकः–	

चेक लिस्ट के निम्नलिखित कंडिकाओं से संबंधित प्रमाण–पत्र की स्व–अभिप्रमाणित छाया प्रति जमा किया गया है। (चिन्हित करें ✓✗)

(i), (ii), (iii), (iv), (v), (vi), (vii) , (viii),

(ix), (x), (xi), (xii)

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर
टेबुल संख्या ....
(सहायक / प्रशाखा पदा०)